

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
कार्यालय आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद सम्बन्धी पूर्व में विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश यदि कोई हो तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन प्रखंड/स्थान/जिला	पदस्थापित प्रखंड/स्थान/जिला
1	श्री अरूण कुमार उपाध्याय	गया	दानापुर शहरी	पटना, अनुभाजन
2	श्रीमती स्वर्णलता फ्रांसिस	कोडरमा	बारसोई, कटिहार	पटना अनुभाजन
3	श्री जटाशंकर	पटना	पटना अनुभाजन, झंझारपुर, मधुबनी के लिए अधिसूचित	पटना अनुभाजन में यथावत बने रहेंगे।

(विद्युभूषण चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-प्र03- स्था0-02-05/2014 **3946** खाद्य, पटना/दिनांक- **30/06/2014**

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना, दरभंगा एवं पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, पटना, कटिहार एवं मधुबनी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/ जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/ सम्बन्धित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव एवं सम्बन्धित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी तथा आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारियों से आग्रह है कि स्थानांतरित पदाधिकारी का प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था के तहत एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरित स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित करेंगे एवं नव पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक के योगदान/प्रभार ग्रहण की सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के उप सचिव।